उपभोक्ता गाइड – पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents)

ऑस्ट्रेलिया में किसी को आप्रवास सहायता देना गैरक़ानूनी है, यदि वे पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट, ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनी प्रैक्टिशनर या छूट प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में गैर-क़ानूनी आप्रवास सहायता देने वाले किसी भी व्यक्ति को Department of Home Affairs की वेबसाइट पर Border Watch Online Report का इस्तेमाल करके रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके आप्रवास क मामले में मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकता।

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents)

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) के लिए व्यावसायिक मानकों को पूरा करना, आचार संहिता का पालन करना और माइग्रेशन क़ानून और प्रक्रिया के ताज़ा ज्ञान को बनाए रखना आवश्यक है।

सभी पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) के पास अद्वितीय Migration Agents Registration Number (MARN) होती है। आप यह जाँच सकते हैं कि क्या व्यक्ति OMARA वेबसाइट www.mara.gov.au पर पंजीकृत है

Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) Department of Home Affairs का हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया में पंजीकृत प्रवास एजेंटों की नियामक संस्था है। OMARA:

- ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन का आकलन करती और निर्णय लेती है
- पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) के आचरण की निगरानी करती है, शिकायतों की जाँच करती है, और यदि आवश्यक हो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है।

OMARA वीज़ा या प्रायोजक के आवेदन में आपकी मदद नहीं कर सकती या पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) को आपको शुल्क वापस करने के लिए आदेश नहीं दे सकती।

आचार संहिता

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट्स के लिए आचार संहिता की आवश्यकता है की पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents):

- वीज़ा मिलने की आपकी संभावनाओं के बारे में ईमानदार रहें
- सही सलाह दें और आपके आवेदन-पत्र की प्रगति और इसे प्रभावित करने वाले किसी बदलाव के बारे में आपको सूचित रखें
- क़ानून, आपके हितों के अंतर्गत काम करें और आपकी गोपनीयता की रक्षा करें
- आपको बताएँ कि यदि उनका कोई ऐसा हित है, जो आपके हितों के विरुद्ध है तो उचित कार्रवाई करें
- आपको काम शुरू करने से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुमानित शुल्क और अन्य लागतों पर लिखित वक्तव्य दें
- यदि आप अग्रिम भुगतान करते हैं, तो धन को अलग बैंक खाते में रखें
- आपको इनवॉयस दें जिसमें वास्तविक सेवाओं और देय राशि को सूचीबद्ध किया गया हो
- आपके आवेदन-पत्र की प्रक्रिया का उचित रिकॉर्ड रखें।

Code of Conduct OMARA की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) के बारे में चिंताएं

यदि आपको अपने पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered Migration Agents) के साथ कोई समस्या है, इसे तो पहले उनके साथ हल करने का प्रयास करें। यदि आप अपने एजेंट के साथ मामले को हल नहीं कर सकते, तो आप आवश्यकता होने पर OMARA से सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप OMARA वेबसाइट पर complaint form पूरा करके अपने पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट

(Registered Migration Agents) के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत करने से आपका वर्तमान वीज़ा आवेदन प्रभावित नहीं होगा, या पिछले वीज़ा अस्वीकार या रद्द करने के निर्णय के परिणाम में परिवर्तन नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया के क़ानूनी प्रैक्टिशनर और छूट प्राप्त व्यक्ति

कुछ लोगों, जैसे ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनी प्रैक्टिशनर और छूट प्राप्त व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलिया में आप्रवास सहायता प्रदान करने के लिए माइग्रेशन एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं होना पड़ता।

ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनी प्रैक्टिशनर को अपने संगत क़ानूनी प्राधिकार के पेशेवर आचरण नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि आप क़ानूनी प्रैक्टिशनर के बारे में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो 'Consumer guide – legal practitioners' पढ़ें, जो Department of Home Affairs website पर उपलब्ध है।

छूट प्राप्त व्यक्तियों में परिवार के करीबी सदस्य और प्रायोजक शामिल हैं। छूट प्राप्त व्यक्तियों की पूरी सूची *Form 956 – Appointment of a registered migration agent, legal practitioner or exempt person* पर मिल सकती है। छूट प्राप्त व्यक्ति आप्रवास सहायता प्रदान करने के लिए शुल्क नहीं ले सकते।

अपॉइंटमेंट समाप्त करना

यदि आप अपॉइंटमेंट समाप्त करना चाहते हैं, तो *Form 956* भरें।

अनुवाद और दुभाषिया सेवा

अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS National)
www.tisnational.gov.au ☎ 131 450 के माध्यम से दुभाषिये से बात करें

जुलाई 2021